

भारतीय दंत परिषद

(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक स्रोविधिक निकाय) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

DENTAL COUNCIL OF INDIA

(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948) UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA



No.DCI/ARPM/ARC/ARM/Gen/167/2023-24/2023/11281

Dated: 11-04-2023

To,

The Principals/Heads of all the Dental Colleges in the Country. (via Email)

Sub: भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन एवम शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियम, 2009 की धारा 12,2 के अनुसार दंत कॉलेजों में रैगिंग के खतरे पर रोक लगाने वाली सूचना को 30,04,2023 तक डीसीआई की वैवसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

Sub: MEASURES FOR CURBING THE MENACE OF RAGGING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS —

IMPLEMENTATION OF DIRECTIONS OF HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA - Information as per

section 12.2 of DCI Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009 to be
uploaded on DCI website by 30.04.2023

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दंत महाविद्यालयों में रैगिंग के खतरे को रोकने वाले डीसीआई विनियम, 2009 के अनुसार, यह सुनिश्चित करना सभी संस्थानों की सभी संस्थाओं की ज़िम्मेदारी है कि उनके दंत संस्थान में रैगिंग की कोई घटना न हो और इसे रोकने के लिए किये गए उपायों की समीक्षा की जाए।

- 2. उक्त विनियम की धारा 11.3 के अनुसार संस्थान के प्राधिकारी/प्रबंधन (ट्रस्ट,सोसाइटी आदि) विशेष रूप से संस्था के प्रमुख, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि संस्था मे रैगिंग की कोई घटना ना हो। यदि रैगिंग की कोई घटना घटती है तो वह प्रबंधन/प्रमुख उस व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ तुरंत और उचित कार्यवाई करेंगे, जिसने घटना के समय कर्तव्य की उपेक्षा की है। तदन्तर प्रमुख की नियुक्ति के लिए नामित प्राधिकारी, प्रमुख के खिलाफ तत्काल और उपयुक्त कार्यवाई करेगा।
- 3. सभी दंत संस्थानो को शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से पहले और साथ ही सत्र के बीच में साइनबोर्ड, पैम्फलेट आदि के माध्यम से रैगिंग की खिलाफ विज्ञापन जारी करना चाहिए। आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने संस्थानों के सभी छात्रों को एक पुस्तिका जारी करें जिसमें रैगिंग क्यों गठित किया गया, रैगिंग के दंडनीय तत्व, रैगिंग के लिए दंड एवं सजा, एंटी रैगिंग समिति (एंटी रैगिंग हेल्पलाइन), वार्डन, पुरुष और महिला छात्रावास उप वार्डन के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर का विवरण दिया गया हो।
- 4. सभी दंत संस्थान अपने किसी भी संकाय सदस्य (सदस्यों) को नये (फ्रेशर) और विरेष्ठ छात्रों के बीच समन्यव करने के लिए "काउंसलर" के रूप मे नामित करे तािक रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए छात्रों (परामर्शदाताओं) के बैचों को दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के बारे मे नियमित रूप से और उनकी भूमिका को संवेदनशील बनाया जा सके।
- 5. आपसे आगे अनुरोध है कि बीडीएस/एमडीएस/पीजी डिप्लोमा/पैरा डेंटल कोर्स या डीसीआई द्वारा अनुमोदित/ स्वीकृत किसी अन्य पाठ्यक्रम मे पढ़ रहे (प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष) सभी छात्रों या माता-पिता/अभिभावकों से एंटी रैगिंग पर ऑनलाइन के माध्यम से www.antiragging.in/www.amanmovement.org वचन (अंडरटेकिंग) प्राप्त कर उसे फ़ाइल करे।

उपरोक्त के अलावा, यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित है कि विषय विनियम की धारा 12.2 के अनुसार, प्रत्येक संस्थान पिछले शैक्षणिक सत्र के संबंध में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट को निर्धारित प्रारूप (अनुबंध II) (इसके प्रत्येक कॉलम के सामने अपेक्षित जानकारी दर्शायी गई हो) में सचिव, भारतीय दंत परिषद, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली – 110002 को प्रस्तुत करेगा। जिसमें विफल होने पर भारतीय दंत परिषद, दंत कॉलेजों में रैगिंग को रोकने के लिए डीसीआई विनियम, 2009 की धारा 11.4 के अनुसार उस संस्थान पर निम्नलिखित में से कोई एक या कोई संयोजन का दंड लगाएगी –

11.4.1 दंत्य चिकित्सा अधिनियम, 1948 की धारा 16ए के तहत संस्था के खिलाफ मान्यता रद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करना।

- 11.4.2 संस्था की प्रवेश क्षमता को उस सीमा तक कम करना, जिस सीमा तक परिषद उचित समझे।
- 11.4.3 अगले आदेश तक संस्था में प्रवेश पर रोक लगाना ।
- 11.4.4 यूजी/पीजी डेंटल कोर्स के नवीकरण की अनुमति को रोकने के लिए ।
- 11.4.5 सभी संबंधितों की जानकारी के लिए, संबंधित संस्था पर लगाए गए जुर्माने की सूचना को डीसीआई की वैबसाइट पर पोस्ट करने।
- 7. इसके अलावा, डीसीआई की कार्यकारी समिति ने अपने दिनांक 13.10.2018 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में निर्णय लिया है कि डेंटल कॉलेजों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए डीसीआई विनियम, 2009 के अनुसार आवश्यक सभी जानकारी/दस्तावेज़, डीसीआई वैबसाइट पर अपलोड किए जाएंगें और सूचना/दस्तावेजों को किसी भी हार्ड कॉपी को डाक द्वारा प्राप्त या ई-मेल द्वारा भेजने पर डीसीआई द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तदनुसार, डीसीआई ने उपरोक्त आकड़ों की कुशलता से जांच करने के लिए और कागजी कारवाई को कम करने के लिए, डीसीआई की वैबसाइट पर अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए एक ऑनलाइन मॉडयूल विकसित किया है।
- 8. उपरोक्त के संबंध में, मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि निर्धारित प्रारूप (डीसीआई विनियम के प्रारूप के रूप में संलग्न-11) में शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए मांगी गई अपेक्षित जानकारी 30.04.2023 तक डीसीआई वैबसाइट पर अपलोड करे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी को भेजा जाना आवश्यक है। यदि उक्त जानकारी को 30.04.2023 तक डीसीआई वैबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया तो दोषयुक्त संस्थान का नाम मॉनिटरिंग कमेटी को उपयुक्त कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा जो उक्त माननीय मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा उपयुक्त और उचित समझी जाए और उस संस्थान का नाम डीसीआई वैबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा।
- 9. कृपया इसे अत्यंत शीघ्र समझा जाए।
- 10. भारतीय दंत परिषद रैगिंग के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करता है।

Sir/Madam,

I am directed to say that as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 209, it is the responsibility of all the institutions to ensure that no incident of ragging takes place in their dental institution and measures taken to curb the same may be reviewed.

2. As per section 11.3 of the aforesaid Regulations, the authorities/Management (Trust, Societies, etc.) of the institution, particularly the Head of the institution, shall be responsible to ensure that no incident of

ragging takes place in the institution. In case any incident of ragging happens, the Management/Head shall take prompt and appropriate action against the person(s) whose dereliction of duty lead to the incident. The authority designated to appoint the Head shall, in its turn, take prompt and appropriate action against the Head.

- 3. All dental institutions should issue advertisements against ragging through signboards, pamphlets etc. before the commencement of academic year as well as during the midst of the session. You are also requested to issue booklets to all the students of your Institutions containing the details about what constitutes ragging, punishable ingredients of ragging, punishments and penalty of ragging, names and mobile numbers of the members of the Anti Ragging Squad, Anti Ragging Committee (Anti Ragging Helpline), Wardens, Deputy Wardens of Men's and Women's hostel.
- 4. All dental Institutions shall designate any of their faculty member(s) as "counselors" for fresher and senior students to co-ordinate the batches of students (counselees) regularly about day-to-day problems and also to sensitize their role in curbing the menace of ragging.
- 5. You are further requested to obtain and file undertaking, on anti-ragging, from all parents/guardians and students (1st year to final year) studying in BDS/MDS/PG Diploma/Para Dental Courses or any other course approved/recognised by DCI, online through www.amanmovement.org.
- 6. Besides above, it is also pertinent to mention here that, as per section 12.2 of subject regulations, each and every institutions shall submit its reports in prescribed format (Annexure-II) to the Secretary, Dental Council of India, Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road, New Delhi 110002, by 30th April of every year in respect of the previous academic session, indicating the requisite information against each column thereof, failing which the Dental Council of India, as per section 11.4 of Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, shall impose any one or any combination of the following penalties on it:-
 - 11.4.1 To initiate the derecognition process against the institution under section 16A of the Dentists Act, 1948
 - 11.4.2 To reduce the admission capacity of the institution to the extent to which the Council deem fit.
 - 11.4.3 To stop further admission in the institution till further orders.
 - 11.4.4 To stop renewal of permission in respect of UG/PG Dental Courses.
 - 11.4.6 To post the information regarding penalties so imposed on the concerned institution on the website of DCI for information of all concerned.
- 7. Further, the Executive Committee of DCI in its meeting held on 13.10.2018 at New Delhi has decided that the all the requisite information / documents required as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, shall be uploaded on DCI website and any hard copy of information / documents received by Post or sent by E-mail shall not be considered by DCI. Accordingly, the DCI has developed an online module to upload the requisite information / documents on DCI website to reduce the paper work and to scrutiny the above data efficiently.
- 8. In view of the above, I am directed to request you to that the requisite information in the prescribed format (Annexure-II as prescribed by DCI Regulations) for the academic session 2022-2023 may kindly be uploaded on DCI website by 30.04.2023, positively, as the said information is required to be uploaded as per request of the Monitoring Committee appointed by the Hon'ble Supreme Court on India. In case the information is not uploaded by 30.04.2023 on DCI website, the name of defaulting institution will be forwarded to the said Monitoring Committee for such appropriate action as

may be deemed fit and proper by the said Hon'ble Monitoring Committee, and their names will also be uploaded on DCI website.

- 9. This may kindly be treated as 'Most Urgent'.
- 10. The Dental Council of India ensure Zero Tolerance against ragging of any sort.

Yours faithfully,

VINAY GUPTA DE MUNICIPALITA

(Vinay Gupta). Deputy Secretary Dental Council of India

CC:-

The President, Dental Council of India, New Delhi

Copy for Information and necessary action!
1: after 10 fra, Hich thetic MOHKFW, New pelly

2: after 10 fra dyn man Joshi (J.S.) (s.chander & govin

3: Ds. Telus Pradyn man Joshi (J.S.) (telas.ugc & govin)

4: Dr. Dinesh Chand (dinesh chand.usc & govin)

5. A. S.K. Katheria,

prenter. A. C.


OL I. Mendolhi



भारतीय दंत परिषद

त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

DENTAL COUNCIL OF INDIA





Dated: 21-04-2023

No.DCI/ARPM/ARC/ARM/Gen/167/2023-24/2023/11559

To,

The Principals/Heads of all the Dental Colleges in the Country. (via Email)

Sub: <u>वर्ष 2023 हेतु एंटी-रैगिंग उन्मुखीकरण कार्यक्रम / कार्यशाला आयोजित करने के लिए – छात्रों (सीनियर और फ्रेशर्स) में रैगिंग के प्रति जागरूकता - के संबंध में।</u>

Sub: <u>To conduct Anti-Ragging Orientation Program / Workshop for the year 2023 - awareness about ragging</u> amongst the students (seniors and freshers) - Regarding

महोदय/महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि दंत कॉलेजो मे रैगिंग के खतरे को रोकने वाले डीसीआई विनियम, 2009 के अनुसार, डेंटल कॉलेजो मे प्रबंधन/प्राचार्य का कर्तव्य और ज़िम्मेदारी है कि यूजी/पीजी डेंटल छात्र जिस कॉलेज मे प्रशिक्षण प्राप्त करे वहाँ दंत शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रवाहकीय वातावरण बनाए और डेंटल कॉलेजो मे किसी भी प्रकार कि रैगिंग को रोकने/प्रतिबंधित/अंकुश के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये ताकि यूजी/पीजी डेंटल कोर्स के छात्र इसके विभिन्न मापदंडो और दंत शिक्षा की अवधरणाओं का अध्ययन करने मे सक्षम बने और एक शांत और शांतिपूर्ण मौहोल हो क्योंकि दंत शिक्षा के लिए भीषण अध्ययन की आवश्यकता होती है।

- 2. इसके अलावा, "संस्थान स्तर (प्रवेश से पहले) पर रैगिंग की रोकथाम के उपाय" शीर्षक के अंतर्गत उपरोक्त विनियम के उपिवनियम 9.1.8, 9.2.5, 9.4.3 और अनुलग्नक 'ए' के दूसरे बिंदु का प्रासंगिक उद्धरण जानकारी के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-
 - "9.1.8 शैक्षणिक सत्र के आरंभ में संस्थान का अध्यक्ष संस्थान में रैगिंग रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों तथा अपराधियों का पता लगाने और उन्हें समुचित रूप से दंडित करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में चर्चा करने के लिए होस्टल वार्डनों, छात्रों, माता-पिता, संकाय, जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों जिनमें पुलिस शामिल है जैसे विभिन्न कार्मिको / एजेंसियों की एक बैठक आयोजित करेगा और उसे संबोधित करेगा।"
 - "9.2.5 संस्थान "नए छात्रो" और वरिष्ठों के संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।"
 - "9.4.3 संस्थान मे रैगिंग पर एक निगरानी सेल होगा जोकि दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम, परामर्शी सत्र आदि आयोजित करने के अनुदेशों के कार्यान्वयन के संबंध मे तथा रैगिंग की घटनाओ, वार्डनों और अन्य कार्मिको आदि को पेश आ रही समस्याओं के संबंध मे रैगिंग-विरोधी समितियों, दस्तो और परामर्शी सेलों के क्रियाकलापों का समन्वय करेगा। यह सेल उनके द्वारा किए गए रैगिंग-विरोधी उपायों के प्रचार के लिए किए गए उपायों की समीक्षा भी करेगा, प्रति वर्ष अभ्यर्थियों / छात्रों और उनके माता-पिता तथा अभिभावकों

से प्रतिज्ञाओं की प्राप्ति की परस्पर जांच करेगा और संस्थान के स्तर पर रैगिंग-विरोधी उपायों के कार्यान्वयन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए कार्यवाई की शुरुआत करने के मामले में अग्रणीप्रावर्तक होगा।"

"अनुलग्नक 'ए' (डीसीआई एंटी रैगिंग विनियम 02.09.2009 में परिशिष्ट)"

"स्थितिअनुसार पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह के बाद विरष्ठ छात्रों के आगमन पर निम्नानुसार और आगे दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए (i) किसी व्यावसायिक परामर्शदाता द्वारा 'नए छात्रों' और विरष्ठों-दोनों के लिए संयुक्त/संवेदीकरण कार्यक्रम और परामर्श; (ii) 'नए छात्रों' और विरष्ठों का संयुक्त दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम जिसे संस्थान के प्रिन्सिपल/ अध्यक्ष तथा रैगिंग-विरोधी समिति द्वारा संबोधित किया जाएगा; (iii) बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक, खेलकूद तथा अन्य क्रियाकलापों का आयोजन जिससे कि 'नए छात्रों' और विरष्ठों को संकाय सदस्यों की उपस्थिति में वैचारिक आदान-प्रदान करने का एक मंच उपलब्ध कराया जा सके; (iv) होस्टल में वार्डन को सभी छात्रों को संबोधित करना चाहिए; वह कॉलेज के संकाय के दो किनष्ठ सहकर्मियों को अस्थायी अविध के लिए आवासी ट्यूटर बनकर वार्डन की सहायता करने का अनुरोध कर सकता हैं।"

3. उपरोक्त के अलावा, 18 और 19 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय दंत परिषद की आम सभा के निर्णय को यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

XXXX

The Council decided that all the dental colleges shall be directed to conduct workshop/seminar/conference in the beginning of BDS Course for periodic training to the members of Anti Ragging Cells/Committees/Squads of Dental Colleges and for awareness about ragging amongst the students and to invite a member of the Dental Council of India of their State or neighboring State (if not available in their state) in the said program

XXXX

- 4. उपरोक्त के ध्यान मे रखते हुए, आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपने दंत कॉलेज में बीडीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत में अपने राज्य या पड़ोसी राज्य (यदि आपके राज्य में उपलब्ध नहीं है) से भारतीय दंत परिषद के किसी एक सदस्य को आमंत्रित / बुलाकर दंत कॉलेज के एंटी रैगिंग सेल/समितियों/स्क्वाड के सदस्य को आवधिक प्रशिक्षण के लिए और छात्रों (नए छात्रों और विरष्ठों) के बीच रैगिंग के बारे में जागरूकता के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम / कार्यशाला का आयोजन 15 दिन के भीतर सकारात्मक रूप से करे और उक्त उन्मुखीकरण कार्यक्रम / कार्यशाला की सीडी/फोटो/डीसीआई सदस्य का नाम / कार्यशाला मे भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची की रिपोर्ट रिटर्न ईमेल/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत करें, जिसमे विफल होने पर डीसीआई द्वारा उक्त डीसीआई विनियम 11.4 के अनुसार आवश्यक कार्यवाई की जाएगी
- 5. डीसीआई सदस्य के टीए/डीए सहित उपरोक्त उन्मुखीकरण कार्यक्रम / कार्यशाला का सभी खर्च संबंधित डेंटल कॉलेज द्वारा वहन किया जाएगा।

Sir/Madam,

I am directed to inform that as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges 2009, it shall be the duty and responsibility of Management/Principal of the Dental Colleges to create a conducive atmosphere for imparting dental education to the UG/PG Dental students undergoing training in such colleges and take all necessary steps to prevent/prohibit/curb ragging of any type in their

Dental Colleges to enable students to study the UG/PG Dental Course and its various parameters and concepts of dental education in a calm and peaceful atmosphere as the dental education requires grueling studies.

- 2. Further, the relevant extract of sub-regulations 9.1.8, 9.2.5, 9.4.3 and 2nd point of the Annexure 'A' under the heading "Measures for prevention of ragging at the institutions level (before admissions)" of the above regulations is reproduced hereunder for information:-
 - "9.1.8 At the commencement of the academic session, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, like hostel Wardens, representatives of students, parents/guardians, faculty, district administration including police to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the institution and steps to be taken to indentify the offenders and punish them suitably."
 - "9.2.5 The institution shall also organize joint sensitization programmes of 'freshers' and seniors."
 - "9.4.3 The institution shall have a Monitoring Cell on Ragging to coordinate with activities of the Anti-Ragging Committees, Squad and Mentoring Cells, regarding compliance with the instructions on conducting orientation programmes, counseling sessions etc., and regarding the incidents of ragging, the problems faced by wardens and other officials, etc. This Cell shall also review the efforts made by them to publicize anti-ragging measures, cross-verify the receipt of undertakings from candidates/students and their parents/guardians every year, and shall be the prime mover for initiating action to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution."

"Annexure 'A' (Addendum in DCI Anti Ragging Regulation on 02.09.2009)"

"On the arrival of senior students after the first week or after the second week as the case may be, further orientation programmes must be scheduled as follows (i) joint sensitization programme and counseling of both 'freshers' and seniors by a professional counsellor; (ii) joint orientation programme for 'freshers' and seniors to be addressed by the Principal/Head of the institution, and the anti-ragging committee; (iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the 'freshers' and seniors to interact in the presence of faculty members; (iv) in the hostel, the warden should address all students; may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration."

3. In addition to the above, the decision of the General Body of the Dental Council of India arrived in its meeting held on 18th & 19th Sep, 2022 at New Delhi is reproduced hereunder:-

XXXX

The Council decided that all the dental colleges shall be directed to conduct workshop/seminar/conference in the beginning of BDS Course for periodic training to the members of Anti Ragging Cells/Committees/Squads of Dental Colleges and for awareness about ragging amongst the students and to invite a member of the Dental Council of India of their State or neighbouring State (if not available in their state) in the said program.

- 4. In the view of above, you are directed to conduct an Orientation Program / Workshop at your Dental College **in the beginning of BDS Course** by inviting /call any one member of Dental Council of India from your State or neighboring States (if not available in your State) for periodic training of the members of the Anti Ragging Cells/Committees/Squads of Dental Colleges and for awareness about ragging amongst students (freshers and seniors) **within 15 days positively** and furnish the report alongwith CD/Photographs/name of DCI member/ list of participants of the above said anti ragging orientation program by return email/speed post, failing which necessary action will be taken by the DCI, as per the provision 11.4 of said DCI Regulations.
- 5. All the expenses of the above Orientation Program / Workshop including TA/DA of the member of the DCI shall be borne by concerned Dental College.

Yours faithfully,

Digitally signed by VINAY GUPT/
Date: 2023.04.21 14 72:56 IST
Reason: Reason
Location: Location

(Vinay Gupta)
Deputy Secretary
Dental Council of India

Copy for information to:-

डॉ. एस. के. कथरिया, प्रो. एवं प्रमुख, (via Email) विभाग डेंटल सर्जरी, एस.एन. चिकित्सा महाविद्यालय, Agra, Uttar Pradesh - 282003. katharia sk@yahoo.com

Digitally signed by VINAY GUPT Date: 2023.04.21 14:12:56 IST Reason: Reason Location: Location:

(Vinay Gupta) Deputy Secretary Dental Council of India

CC:-

The President, Dental Council of India, New Delhi